

22/6/19

यह बाद वादा का आरंभ राज्य सरकार प्रथम तहसीलदार पानवारागढ़ की ओर से क्वार्टर चाकर 88 कि. मी. के तहत पेय किया। वादा दर्ज रजिस्ट्रार हो। तलाबी जतिवदीगण की प्राप्ति के लिए दिनांक 22/6/19 को पेय हो।

अप

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

कमानाकट
कानूनी

22/6/19

पत्राली पेय हुई परीक्षा सरकारी उपनिष्ठा। पतिवादी रत्नलारागण, कन्हैयालाल, रामजीलाल, रामस्यवाप, नदेश, हरिनारागण, लालराम, सुदेश कुमार, रेवडाल, लालाराम उपनिष्ठा। अप जतिवदीगण को नोचि पत्रिका के साक्ष्य को देकर कराई गई। लेकिन वाक्य सूचना के उपनिष्ठा। इन्तम पत्राली के पत्राली दिनांक 22/6/19 को पेय हो।

अप

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

रामजीलाल

22/6/19

पत्राली पेय हुई परीक्षा सरकारी उपनिष्ठा। रत्नलारागण का उपनिष्ठा। प्रवाक के पत्राली दिनांक 10/7/19 को पेय हो।

अप

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

- 11
- 12
- 13

रत्नलारागण
मन्त्री

10/7/19

पत्राली पेय हुई परीक्षा सरकारी उपनिष्ठा। रत्नलारागण का उपनिष्ठा नहीं परीक्षा सरकारी के बाद पत्र में संक्षिप्त किया कि संगीशेशन का कार्य चल रहा है। संगीशेशन के दौरान गाँव सायपुरा तहसील पानवारागढ़ (मध्य) हाल पानवकी सवत 2058-2061

- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

दरीनारागण
लाकुराम
बुद्धेश कुमार
रेवडाल
रामलाल

फर्द अहकाम

सरकार बनाम मोतीलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 111/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>के रकम 291/1, 291/2, 291/3 की दरतीन नही है नामांककरण की पुस्त पर नक्शा नही बनाये उक्त खाता सं 71, 85, 113 के रकम 291/1, 291/2, 291/3 के एक ही रकम 291 रकम 291/3 के फिमा लाने परवासी हक्का की फर्द मोतीलाल रिफर्त दिनांक 22/6/19 प्राप्त हुई है कसली में शामिल है</p> <p>सरकार सरकार उपरीपट परकार के सुभा बापा / सुभा के उपरान्त राज्य सरकार को DILRMP योजना के RTI Act की धारा 88 के तहत परवासी हक्का की फर्द मोतीलाल के अहकाम सुनने के आदेश तहसीलदार जयवारागढ के दिने जाते है / तहसीलदार जयवारागढ तदनुसार राज्य सरकार में कसल करे</p> <p>निर्णय व फर्द मोतीलाल रिफर्त की प्रति तहसीलदार जयवारागढ के पालनार्थ हकु निपवारी लाने पत्रावली कोसल सुभा हक उम्हरे से कात हो चाड सर्वे साहित्य उम्हरे हो</p> <p>निर्णय सुभा बापा /</p>

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयवारागढ

